Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में सरपंच 3 लाख 15 हजार रुपये (50 हजार रुपये नगद एवं स्वयं के नाम का 2 लाख 65 हजार रुपये का चैक) रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये खेमसिंह देवड़ा सरपंच, ग्राम पंचायत मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर को परिवादी से **3 लाख 15 हजार रुपये (50 हजार रुपये नगद एवं स्वयं के नाम का 2 लाख 65 हजार रुपये का चैक)** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा संचालित स्कूल को आबादी भूमि पर अतिक्रमण करके स्कूल बनाने की शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर की गई थी, जिसकी जाँच में उसके पक्ष में कार्यवाही कर उक्त आबादी भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने की एवज में खेमसिंह देवड़ा सरपंच, ग्राम पंचायत मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा **4 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। आरोपी के आग्रह करने पर आरोपी **3 लाख 50 हजार रुपये** लेने पर सहमत हुआ है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के निर्देशन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत** द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये खेमसिंह देवड़ा पुत्र श्री शम्भुसिंह देवड़ा ग्राम पंचायत मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल सरपंच, ग्राम पंचायत मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर को परिवादी से **3 लाख 15 हजार रुपये (50 हजार रुपये नगद एवं स्वयं के नाम का 2 लाख 65 हजार रुपये का चैक)** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि और चैक के साथ **बैंक की शाखा** में ही बुलवाया, जहाँ आरोपी द्वारा रिश्वत राशि एवं बैंक चैक प्राप्त कर, बैंकर–चैक को भुनाने की कोशिश की, जिस पर एसीबी टीम द्वारा उसे बैंक में ही दबोचा लिया। इससे पहले सत्यापन के दौरान आरोपी सरपंच द्वारा **25 हजार रुपये** पूर्व में ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति की तथा **10 हजार रूपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।